न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 152/2015 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2015/00112

1. हरभज पुत्र श्री नानकराम जाति मेघवाल निवासी लालमदेसर बड़ा, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. झूमादेवी पत्नी मोहनराम
2. प्रभूराम
3. चीमाराम
4. चन्दाराम

पुत्रगण देवाराम, जाति मेघवाल निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

5. स्टेट जरिये तहसीलदार नोखा।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 सम्मन बाद तामील कोई उपस्थित नही।

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 26.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम लालमदेसर बड़ा के खसरा नंबर 384 रकबा कुल 11.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 749 रकबा 5.39 हैक्टेयर कुल तादादी 16.54 हैक्टेयर कृषि भूमि मोहन, हरभज़ पि. नानक ब.हि.ब 2/3 हिस्सा , प्रभुराम, चीमाराम, चन्दाराम पि. ब.हि.ब 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। मोहनराम ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित करवा दी। उक्त वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी को इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार नोखा द्वारा उक्त वादगत भूमि का विरासतन इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दर्ज कर दिया। अपीलांट ने उक्त इंतकाल संख्या 801 की विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए, तहसीलदार द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 801 को निरस्त कर प्रकरण तहसीदलार नोखा को रिमाण्ड कर दिया। उक्त रिमाण्ड प्रकरण को सुनवाई करते हुए तहसीलदार नोखा द्वारा इंतकाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 801 को यथावत रखा। तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 26.11.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ड संख्या 2 ता 4 द्वारा वसीयत के अनुसार इंतकाल दर्ज करने का निवेदन ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी के समक्ष प्रस्तुत किया फिर भी तहसीलदार नोखा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में विरासतन इंतकाल दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल की कार्यवाही केवल मात्र एक दिन में ही दर्ज करना, तहसीलदार नोखा द्वारा जानबूझकर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठ–गांठ करके अवैध रूप से इंतकाल स्वीकृत किया गया। तहसीलदार नोखा ने बिना मौका की जॉच किए व अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए जैर अपील पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने तहसीलदार नोखा को उक्त प्रकरण इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया कि पुनः नामान्तरकरण की विधिसम्मत तरीके से जॉच करके निर्णय पारित करे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा द्वारा अपील न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नोखा द्वारा केवल अपने पूर्व निर्णय को सही मानते हुए अपनी इच्छानुसार निर्णय पारित किया हैं जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिसम्मत जॉच करने के निर्देश तहसीलदार नोखा को दिये गये थें इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील न्यायालय के आदेश के खुला उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन आदेश प्रसारित किया हैं जो न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुने बगैर ही तथा बिना किसी साक्ष्य सबूत लिये तथा बिना कोई जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण आदेश जैर अपील निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.11.2015 निरस्त फरमाया जावे।

3– राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया था कि इस वादगत भूमि के पुर्व खातेदार मोहन पुत्र नानक के धारण की कृषि भूमि यदि जांच में मृत्तक मोहन की स्वअर्जित पाई जावे तो जांच के बाद नये पाये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जावें। तहसीलदार नोखा की जांच में उक्त भूमि उत्तराधिकार की होनी पाई गई, भूमि स्व अर्जित को कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। उक्त वादगत भूमि

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उत्तराधिकार में प्राप्त होने के कारण वारिसान के नाम दर्ज किया गया इंतकाल संख्या 801 उचित है। इंतकाल संख्या 801 दिनांक 24.06.2014 भू-अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 131(2) के अनुसार भी सही है। अतः तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 26.11.2015 को बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने तहसीलदार नोखा को उक्त प्रकरण रिमाण्ड कर यह निर्देशित किया कि उक्त वादगत भूमि पूर्व खातेदार मोहन पुत्र नानक की स्वअर्जित भूमि होने की जांच कर एवं वसीयतनामा दिनांक 29.05.2014 के तथ्यों की जांच कर निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान किया था, उक्त प्रकरण में तहसीलदार, नोखा ने अपने निर्णय में लिखा है कि जांच में उक्त वादगत भूमि उत्तराधिकार की होनी पाई गई एवं उक्त भूमि स्वअर्जित का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त वादगत भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त होने के कारण वरिसान के नाम दर्ज किया गया इंतकाल उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नोखा के आदेश दिनांक 26.11.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नोखा के आदेश दिनांक 26.11.2015 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। अपीलांट वादगत भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में घोषणात्मक दावा कर अधिकार तय करवाने हेतु स्वतंत्र है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/11/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर